# न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 120 / 2018
जीसीएमएस न0 2018 / 00331

1. गोपाललाल पिता मोहनलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज० से १४9784467011
2. लीला पुत्री मोहनलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. पुष्पा पुत्री मोहनलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4. मंजु पुत्री मोहनलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. मु० भगवानी पत्नि मोहनलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रार्थीगण

बनाम

1. खेमराज पिता नारायण जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

– विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री अनिल पाटीदार – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

**:: निर्णय ::**

दिनांक 01.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके मौजा बडोली घाटा प०ह० बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता सं0 299 के आराजी नं0 20 रकबा 0.3000 हैक्टेयर लगानी 2 रुपये 85 पैसा, आराजी नं0 21 रकबा 0.0500 हेक्टेयर लगानी 47 पैसा, आराजी नं0 29 रकबा 1.1300 हेक्टेयर लगानी 10 रुपये 73 पैसा, आराजी नं0 338 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्यूबवेल, आराजी नं0 339 रकबा 0.8700 हेक्टेयर लगानी 7 रुपये 3 पैसा, आ[illegible] 504 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्यूबवेल, आराजी नं० 505 रकबा 0.1400 हे[illegible] 14 रुपये 8 पैसा स्थित है। साक्ष्य मे नकल जमाबंदी पेश हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:32 IST
Reason: SelfAttested

2. वादग्रस्त आराजियात नये आराजी नं0 20 रकबा 0.3000 हैक्टेयर जिसके पुराने आराजी नं0 14 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नं0 21 रकबा 0.0500 हेक्टेयर जिसके पुराने आराजी नं० 923 / 14 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नं0 29 रकबा 1.1300 हेक्टेयर जिसके

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

पुराने आराजी नं0 19 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नं० 338 रकवा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नं0 339 रकबा 0.3700 हेक्टेयर, आराजी नं0 504 रकवा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवेल जिसके पुराने आराजी नं0 248 मीन रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नं0 505 रकबा 0.7400 हेक्टेयर जिसके पुराने आराजी नं0 248 मीन रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात एवं विपक्षी नं0 1 खेमराज के नाम दर्ज शुदा आराजियात एवं चेनराम पिता नारायण के नाम दर्ज शुदा आराजियात पूर्व में शामील में थी जिसका आपसी सहमती से बटवारा नामांतरण संख्या 836 दिनांक 10 / 08 / 1992 को मौके पर काबिज अनुसार वादग्रस्त आराजियात का बटवारा किया गया और इसी बटवारे अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी अपने अपने हिस्से पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है।यह कि उक्त आराजियात का पुराने राजस्व नक्ष ट्रेस में तरमीम नही था, तथा राजस्व कर्मचारियों राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से नवीन नक्षा ट्रेस में गलत रुप से तरमीम कर दिया है प्रार्थी का जहां पर कब्जा हैं, और जो भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि को नवीन नक्षा ट्रेस में गलत रुप से दर्ज कर दिया गया हैं, तथा मौके पर काबिज अनुसार नक्षा ट्रेस तरमीम नही किया है इसलिए प्रार्थीगण का इसलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम मौके पर काबिज अनुसार, एंव राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब मय अनुशंषा रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार हैः– आराजी नम्बर 202 के टुकेडे थे उनको एक कर नये नम्बर बनाए जिसमे कुए के 429 एवं भूमि के 430 बने। साबिक नक्शे का अवलोकन उक्त चरण में वर्णित आराजी नम्बर व रकबा सही अंकित होने से स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार हैं। उक्त चरण में वर्णित तथ्य मन गढंत होकर असत्य कथन है प्रार्थीगण मात्र मुझ विपक्षी नं०1 द्वारा एक वाद माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी महोदय निम्बाहेडा में बउनवान खेमराज बनाम गोपाल प्र०सं० 484 / 2018 दावा तहत धारा 183 राज०का०अधि० के तहत पेश कर रखा है जिसमे प्रार्थीगण द्वारा मुझ विपक्षी नं0 1की आराजी कब्जा किया था जिसकी मुझ विपक्षी नं० 1 द्वारा पत्थरगढी करने पर प्रार्थीगण का मुझ विपक्षी नं० 1 की आराजियात पर कब्जा पाया गया उक्त कब्जे का लेने का वाद मुझ प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में पेश कर मुझ विपक्षी नं० 1 को कब्जा दिलने बाबत पेश कर रखा हैं, जिसको मात्र प्रार्थीगण मिसकंडक्ट करनाचाहता हैं, व रेकार्ड में अमूलचुल परिवर्तन कर मुझ प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवही में बाधा उत्पन्न करना चाहता है जिस हेतु यह झुठा व असत्य कथन अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। उक्त चरण में वर्णित तथ्य असत्य आधारीन होने से स्वीकार नही हैं, राजस्व रेकार्ड मे केई तरमीम गलत नही है राजस्व रेकार्ड पूर्व मे व वर्तमान मे नसही रुप से दर्ज है मात्र प्रार्थीगण मुझ विपक्षी नं० 1 द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध एक और अन्य पेश किये गये वाद को [illegible] करना चाहते है व रेकार्ड मे अमूलचूल परिवर्तन कर रेकार्ड [illegible] करने पर आमादा हैं। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने [illegible] ग्राम बड़ौलीघाटा की आराजी नं. 29 रकबा 1.13 है० बेरूए रेकार्ड–गोपाल लाल पिता मोहनलाल जाट वगैरा (प्रार्थीगण) के नाम दर्ज रेकार्ड है एवं आ०नं0 [illegible] रकबा 1.11 है0 खेमराज पिता नारायण जाट (विपक्षी) के नाम दर्ज रेकार्ड है।

उपरोक्त आराजी का मिलान क्षैत्रफल अनुसार तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

| क्र0स0 | गत साबिक आराजी | | नवीन आराजी | | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| | आराजी नम्बर | रकबा | आराजी नम्बर | रकबा | |
| 1 | 19 | 4 बीघा | 28 | 1.01 है0 | चेनराम/नाराण जाट |
| 2 | 19 | 4 बीघा 8 बिस्वा | 30 | 1.11 है0 | खेमराज/नाराण |
| 3 | 19 | 4 बीघा 9 बिस्वा | 29 | 1.13 है0 | मोहनलाल/नारायण |

4. गत भू–प्रबन्ध आ०नं० 19 कुल रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि खाता संख्या 104/2046–49 पर खेमराज, मोहनलाल, चेनराम पिता नाराण जाट सा. देह खातेदार नाम से दर्ज रेकार्ड थी, जो नामा० 836/10.08.92 से सहमति विभाजन से 4 बीघा 8 बिस्वा रकबा भूमि खेमराज के 4 बीघा 9 बिस्वा मोहनलाल के एवं 4 बीघा चेनराम के बटवाड़े में दर्ज हुई। जिसके नवीन भू–प्रबंध में उक्तानुसार नम्बर दर्ज हुए है। गत भू–प्रबन्ध नक्शा एवं नामान्तरकरण प्रति तहसील रेकार्ड हाजा से प्राप्त करने पर नामान्तरकरण पर टुकड़ा तरमीम ट्रेस चस्पा नहीं मिला एवं गत नक्शे में भी उक्त आराजी की तरमीम नहीं पाई गई। ऐसी स्थिति में वर्तमान नक्शे एवं रेकार्ड से संलग्न मौका पर्चा के मौका देखा गया जिसमें स्थिति निम्नानुसार पाई गई।
(1) वर्तमान नक्शे में दर्ज स्थिति रिपोर्ट एवं पर्चा मौका में अंकित है।
(2) मौके पर कब्जा अनुसार स्थिति रिपोर्ट एवं पर्चा मौका में अंकित है।

मौके पर प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य आ.नं. 29 व 30 के मध्य की मेड़ वर्तमान नक्शे में दर्ज X-Y अनुसार नहीं होकर मौके पर A से B, B से C, एवं C से D अनुसार है। वक्त जांच मौके पर प्रार्थी उक्त दोनों ही आराजी (29 व 30) के नक्शे में त्रुटि होना बताया शेष आराजियात से रेकार्ड मुताबिक संतुष्ट होना जाहिर किया। प्रार्थी एवं प्रतिवादी के मध्य मौके पर स्थित मेड़ अनुसार तरमीम संशोधन उचित हैं। अतः भू०अ० निरीक्षक मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पर्चा मय दस्तावेज मूल ही संलग्न कर प्रार्थीगण एवं विपक्षी के मध्य मौके पर स्थित मेड़ अनुसार तरमीम संशोधन की अनुशंषा के साथ श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

*136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, cor[illegible] prescribed manner any clerical errors and [illegible] which the parties interested ad[illegible] record of rights or register, o[illegible]ed during the course of [illegible]er:*

*Provided that when any error is [illegible]ticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि गत भू प्रबन्ध नक्शा एवं नामान्तरकरण प्रति तहसील रिकार्ड अनुसार ग्राम बडोलीघाटा पटवार हल्का बडोलीघाटा के आराजी नम्बर आ.नं. 29 व 30 के मध्य की मेड़ वर्तमान नक्शे में दर्ज नहीं होने से तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट अनुसार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बडौलीघाटा पटवार हल्का बडौलीघाटा तह० निम्बाहेडा की आराजी संख्या 29 व आराजी नम्बर 30 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम राजस्व रेकार्ड में किये जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार अमल दरामद करे। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner